



भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
बेला कोठी, रामकृष्ण आश्रम रोड, बेला, मुजफ्फरपुर ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत आदेश

संस्था का नाम एवं पता	:-	अर्जुन फाउण्डेशन, अर्जुन मार्केट, चण्डी बाजार, पोस्ट – सिकन्दरपुर, थाना– जी0बी0 नगर, तरवारा, अंचल– बड़हरिया, जिला– सिवान (बिहार) – 841434
स्थायी लेखा संख्या	:-	AAETA1194R
आदेश की तिथि	:-	22-08-2014

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए (1) उपधारा (बी) (i) में निर्दिष्ट शक्तियों के तहत उपरोक्त संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए निर्धारण वर्ष 2014-15 से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के अन्तर्गत न्याय संगत होगा :-

- (i) संस्था अपनी आय को पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजन में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहां उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का पन्द्रह प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी।
- (ii) संस्था अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट स्वरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।
- (iii) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
- (iv) संस्था आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म,सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।
- (v) संस्था आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।

(vi) किसी सामान्य लोकोपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा, यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई कियाकलाप किया जाना अंतर्वलित है, भले ही ऐसे कियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन अथवा उसके प्रतिधारण की प्रकृति कुछ भी हो। लेकिन अगर अगले किसी वर्ष में इन कियाकलापों से कुल प्राप्ति 25 (पच्चीस) लाख रू0 या इससे कम है तो उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।

(vii) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था के कियाकलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है अथवा संस्था के कियाकलाप प्रामाणिक नहीं रहे अथवा अगले किसी वर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान में वर्णित कियाकलापों से कुल प्राप्ति 25 (पच्चीस) लाख रू0 से अधिक हो तो आयकर अधिनियम की धारा 12एए(3) के अंतर्गत उक्त पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

ह0

पंजीकरण संख्या 02/2014-15

(शौभिक गुहा)

आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर।

सं0सं0- आ0आ0/मुज0/तक0/12एए/2014-15/1833-35

दिनांक, मुजफ्फरपुर, 22वी अगस्त 2014

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - 2, मुजफ्फरपुर।
2. आयकर उपायुक्त, अंचल - 2, मुजफ्फरपुर को इस आशय के साथ कि संस्था की धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था की धारा 11 से 13 तक करमुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुँचना है कि संस्था करमुक्ति के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं। यदि संस्था भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो उसे करमुक्ति देय नहीं होगी तथा धारा 12एए(3) के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।
3. अर्जुन फाउण्डेशन।

22.08.14

(अजय कुमार चौधरी)

आयकर अधिकारी (तक0),

कृते : आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर।